न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 54 / 2019 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2019 / 00109

उनवान

1. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी।

...अपीलांट।

बनाम

1. कंचन पत्नि श्योनारायण जाति माली, निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी।

...रेस्पोडेन्ट।

उपस्थितः–

1. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः–24.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 77 / 2017 बउनवान कंचन बनाम पप्पू वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2019 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक ख०न० 31 रकबा 5 बीघा मिसरया पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी महूकलां की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। वादी के ससुर मिश्रया उर्फ मिश्रीलाल पुत्र ग्यारसा का देहान्त हो चुका है एवं इसके बाद वादिया उनकी भूमि को काश्त करती चली आ रही है। उपरोक्त आराजी को प्रतिवादी नंबर 01 जबरदस्ती हडपना चाहता है। वादिया के ससुर की खातेदारी की भूमि ख0नं0 31 रकबा 5 बीघा ग्राम बाढ छावा न० 1 का नवीन ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 कायम किया गया है जिसे गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। यह भूमि वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण वादिया सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का दावा डिक्री किया जाकर भूमि न0 76 रकबा 0.50 है0 ग्राम बाढ छावा न० 1 तहसील गंगापुर सिटी का दिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अनुसार राजस्व 8 रेकार्ड में दुरूस्ती की जाये। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करमाया जाये कि वे उपरोक्त भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दिया को कोई मजाहमत न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी 01 ने जवाब मे कथन किया कि उक्त आराजीयात पर वादिया का कब्जा न होकर प्रतिवादी का कब्जा है। अतः वादपत्र खारिज किया जावे। अदालत मातहत ने दिनांक 18.01.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादिया को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा सिवायचक मे से कम करने का आदेश पारित करते हुए राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा मे राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रस्तुत की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम बाढ छावा नंबर 01 तहसील गंगापुर सिटी भूमि सिवायचक सरकारी राज्य सरकार की खातेदारी में निहित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय दिनांक 18.01.2019 द्वारा सिवायचक सरकारी भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 0.50 है0 को सरकारी सिवायचक खाते से कम की जाकर प्रतिवादी कंचन पतिन श्योनारायण जाति माली निवासी महुकलां के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित कर राज्य सरकार के हितो के विपरीत कार्य किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजीयात ग्राम बाढ छावा नंबर 01 के खसरा नंबर 76 रकबा 0.50 है0 प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज नही हो कर राज्य सरकार की खातेदारी मे दर्ज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 18.01.2019 को निरस्त किया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश ही नही किया गया। अतः अपील खारिज की जावें।
6. हमारे द्वारा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 18.01.2019 के विरूद्व दिनांक 22.08.2019 को पेश की गई है। जिस से स्पष्ट है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। लेकिन अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश ही नही किया गया है। इस कारण उक्त अपील को एडमिशन स्तर पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

चूंकि मियाद अधिनियम सभी पर समान रूप से लागू होता हैं, चाहे वह राज्य सरकार अथवा कोई निजी पक्षकार हो। अतः अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम से बाधित होने के कारण अपील मीमों के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम बाबत् "देरी क्षमा किए जाने" का प्रार्थना पत्र पेश नही किए जाने से अपील "मियाद बिंदु" के आधार पर बिना गुणावगुण का निर्णय किए ही खारिज की जाती है।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 24.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

1. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी। उनवान

...अपीलांट।

बनाम

1. कंचन पत्नि श्योनारायण जाति माली, निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी।

...रेस्पोडेन्ट।

अपील संख्या :54 / 2019

जी.सी.एम.एस संख्या :2019 / 00109 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी दिनांक 24.07.2023

यह अपील व तारीख 24.07.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री पैरोकार सरकार व हाजरी श्री तरूण शर्मा एड. मिनजानिब रेस्पो. के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम से बाधित होने के कारण अपील मीमों के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम बाबत् "देरी क्षमा किए जाने" का प्रार्थना पत्र पेश नही किए जाने से अपील "मियाद बिंदु" के आधार पर बिना गुणावगुण का निर्णय किए ही खारिज की जाती है।

मुहर

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner